मुन्तकिली प्रकरण संख्या 41/2019 (RCMS : 2019/00072) रामस्नेही पुत्री रामनारायण धर्मपत्नी रामचन्द जाति बिश्नोई आयु करीब 66 वर्ष निवासी खरलियां तहसील पीलीबंगा जिला हनुमानगढ हाल 7ए पीएम ढाणी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर बनाम 1 प्रियवृत पुत्र सम्पूर्ण चन्द 2. कमला पत्नी अमरचंद 3. सकीला 4. संतोष 5. माया 6. सुमन 7 पूनम 8. सकेन्द्र 9. अर्जन कुमार पिसरान अमरचंद 10. रामस्वरूप 11. निहालचंद पुत्र रामनारायण 12. हरीविलास उर्फ हीर कैलाश पुत्री श्री रामनारायण जाति बिश्नोई निवासी 7 ए पी एम ढाणी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर 13. तहसीलदार राजस्व, अनूपगढ 14 सलोचना पुत्री रामनारायण पत्नी ओमप्रकाश जाति बिश्नोई निवासी लखरिया तहसील पीलीबंगा हाल निवासी चक 7 ए पी एम ढाणी तहसील अनूपगढ जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

03.04.2019

प्रार्थी एवं अप्रार्थी संख्या 01 के अधिवक्ता उपस्थित है। बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ के न्यायालय में विचारणीन प्रकरण संख्या 01/2019 अनवानी रामस्नेही आदि बनाम प्रियवृत आदि अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट में दिनांक 08.01.2019 को अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी तथा प्रकरण में आगामी पेशी 13.03.2019 नियत थी में अप्रार्थी संख्या 01 ने गलत तौर से प्रार्थना पत्र पेश कर प्रकरण में पहले से नियत दिनांक 13.03.2019 के स्थान पर पेशी 19.02.2019 नियत करवा ली और प्रार्थीया से स्पष्ट कह है कि पीठासीन अधिकारी से अप्रौच करवा दी है और दिनांक 19.02.2019 को आपका स्टे का प्रार्थना पत्र खारिज करवा दिया जावेगा।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी संख्या 01 प्रियवृत एक प्रभावशाली व्यक्ति है एवं राजनैतिक प्रभाव के कारण पीठासीन अधिकारी को अप्रौच करवा ली है इसलिए वे उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ से निर्णय नहीं करवाना चाहते है इसलिए उनका मुकद्दमा अन्य किसी सक्षम न्यायाललय में मुंतकिल कर दिया जावे, ताकि उन्हें निष्पक्ष न्याय मिल सके।

उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोप साधारण प्रकृति के है जो हालांकि मुकदमा मुन्तकिली का कोई ठोस आधार नही बनाते है। उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ द्वारा भी अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपो का खण्डन करते हुए प्रार्थना की है कि अगर उनके समक्ष लंबित प्रकरण को उनके न्यायालय से अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जाता है तो उन्हे कोई आपति नही है एवं उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ ने अपनी रिपोर्ट में यह भी अंकित किया है प्रार्थी का यह कहना कि प्रकरण में पहले से नियत दिनांक 13.03.2019 के स्थान पर पेशी 19.02.2019 नियत करवा ली है, जो कि मनगढ़त एवं तथ्यहीन है चूंकि पत्रावली में आगामी तारीख 13.03.2019 ही नियत थी। दिनांक 04.02.2019 को अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 151 सीपीसी बाबत् Early Hearing पेश करने पर पेशी में ली गई, जो कि एक न्यायिक प्रक्रिया है। मामले के तथ्यों को देखते हुए न्यायालय किसी भी प्रकरण की ज़ल्दी सुनवाई कर सकता है। प्राथी द्वारा लगाये गये आरोप आधारहीन है और मात्र विलम्ब करने की दृष्टि से ही यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र पेश किया जाना प्रतीत होता है। इसलिए यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज करने योग्य है।

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उपरोक्त विवेचन के आधार पर यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। आदेश की प्रति उपखण्ड अधिकारी, अनूपगढ को पालनार्थ भिजवाई जावे। यह पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 03.04.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शिवप्रसाद एम. नकाते)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर